

डकैती के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चालाये जा रहे अभियान क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री किश राजपूत के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 03.02.2026 को थाना दक्षिण टोला पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व जरिये मुखबिर की सूचना पर बरलाई मोड़ के पास मु0अ0स0 मु0अ0सं0 11/2026 धारा 331(4)/305(A)/125(A) अभियोग में वांछित अभियुक्त अभिषेक अवस्थी उर्फ पंडित पुत्र श्री ज्योति प्रकाश अवस्थी निवासी नई बस्ती थाना रेउसा जनपद सीतापुर हाल मुकाम शैलेश तिवारी के किराये का मकान निषादगंज ओल्ड बादशाह नगर थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – उल्लेखनीय है कि आजमी हास्पिटल हकीकतपुरा थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ में दिनांक 23.01.2026 की रात्रि में 04 डायलसिस मशीनो को चोरी किया गया था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 11/2026 धारा 331(4)/305(A)/125(A) बी0एन0एस0 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा पूर्व में दिनांक 25.01.2026 व दिनांक 31.1.26 को उक्त अभियोग में कुल 03 अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी भी हो चुकी थी । घटना के बाद से ही शेष नामजद अभियुक्त गिरफ्तारी के डर से फरार चल रहे थे तथा पुलिस द्वारा लगातार दबीश दी जा रही थी । आज मुखबीर खास की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर बरलाई मोड़ से निम्न अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया जिसे रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायीक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभिषेक अवस्थी उर्फ पंडित पुत्र श्री ज्योति प्रकाश अवस्थी निवासी नई बस्ती थाना रेउसा जनपद सीतापुर हाल मुकाम शैलेश तिवारी के किराये का मकान निषादगंज ओल्ड बादशाह नगर थाना महानगर कमिश्नरेट लखनऊ उम्र करीब 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग-

1. मु.अ.सं. 0011/2026 धारा 310(2)/317(3)/61(2) बी0एन0एस0 थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अरूण कुमार सिंह, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
2. उ0नि0 हरिकेश यादव, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
3. उ0नि0 शहजाद जमां थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ
4. हे0का0 सुरजीत कुमार, थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ